14.46 hrs.

## MATTERS UNDER RULE 377

### (i) Need for underground survey in Chhattisgarh area of Madhya Pradesh.

श्री कैयूर भूषण (रायपुर) : मैं अध्यक्ष महोदय की अनुमति से इस्पात तथा खान, ऊर्जा एवं योजना मंत्रीगण का ध्यान देश के मध्य भाग तथा मध्य प्रदेश के दक्षिण एवं पूर्वी अंचल जिले छत्तीसगढ़ के नाम से जाना जाता है, के अवशेषी भूवेक्षण तथा भू-सर्वेक्षण की ओर दिलाना चाहता हूं । ध्यान रहे कि यह क्षेत्र प्रकृत खनिज सम्पदा अपने गर्भ में समेटे हुए है । कहीं-कहीं रेडियो सक्रियता भी पाई गई है, जिस से यूरेनियम खनिज बड़ी मात्रा मे पाये जाने की संभावना है । इस के अतिरिक्त अन्य बहुमूल्य खनिज मिलने की संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता । बस्तर मे लौह अयस्क बाक्साइट और अन्य खनिजो के अतिरिक्त केसोटराइट, कोलबाइट टेंटलाइट से बने बहुखनजीय सांद्र का पता चला है । इस मे विशेष रूप से छत्तीसगढ़ मैदान के पूर्वी तथा दक्षिणी दुर्गम पहाडी भू-भाग जो सामान्यत: अन्तर्प्रांतीय सीमा का निर्धारण करते है, विशेष महत्व के है । यदि इस भू-भाग को वरीयता के आधार पर भूगर्भीय सर्वेक्षण किया जाता है, तो यह हमारे औद्योगिक विकास की गति देने में सहायक होने के साथ-साथ इस आदिवासी बहुल क्षेत्र का द्रुत गति से विकास करने में भी सहायक सिद्ध होगा ।

### (ii) Relief measures for flood-affected people of Gorakhpur district of U.P. and construction of proposed dams to control floods.

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : यद्यपि देश के विभिन्न भागों में भयंकर बाढ़ की स्थिति व्याप्त है तथा जन-धन की भीषण क्षति हुई है किन्तु पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में राप्ती, रोहिन, घाघरा और आमी नदियों की बाढ़ के कारण वहां की जनता को घोर संकट का सामना करना पड़ रहा है । फसलें लगभग नष्ट हो चुकी है तथा अनेक मकान क्षतिग्रस्त हो गये हैं । कई गांव जैसे रोहुआ और बंजरहा राप्ती नदी के कटाव के कारण कट कर नदी में गिर रहे हैं । ऐसी स्थिति में उन गांवों के लोगो को किसी नये स्थान पर बसाने के लिये सरकार को तत्काल कदम उठाना चाहिये और बाढ़ पीड़ितों के सहायतार्थ खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिये । साथ ही बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों के छात्रों की फीस माफ कर देनी चाहिये तथा उक्त क्षेत्रों में हर प्रकार की वसूली बंद होनी चाहिये और किसानों का लगान माफ कर दिया जाना चाहिये । सरकार का यह कर्तव्य है कि वह उक्त नदियो की बाढ की विभीषिका क नियंत्रित करने के लिये एक नियोजित प्रभावी कार्यक्रम बनाये ताकि लोगो को इस महान संकट से बचाया जा सके । प्रस्तावित बांधो का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा किया जाना अति आवश्यक है :

### (iii) Need for enhancing rates of post-matriculation scholarships to S.C. and S.T. students.

SHRI ARJUN SETHI (Bhadrak): Mr. Deputy Speaker, Sir, under Rule 377 I want to raise the following matter of urgent public importance.

Post-matric scholarships are awarded to Scheduled Caste and Scheduled Tribe students at rates approved by Government of India. Different rates are prescribed for students of different groups as indicated in the scheme of Post-matric scholarship prepared by Government of India.

In the scheme it has been provided that Rs. 70/- p.m. for boys and Rs. 80/- p.m. for girls will be given for general courses upto graduate level. Over and above, the rate prescribed by Government of India, the State Government of Orissa are

[Shri Arjun Sethi]

giving Rs. 10/- p.m. for per student at a flat rate since 1972-73. The rates prescribed by the Government of India are in existence since 1974-75. The rates have not yet been changed, although the price of essential commodities has gone up considerably with the result the Scheduled Caste and Scheduled Tribe students are experiencing immense financial difficulty for prosecuting their post-matric studies.

The State Government have moved Government of India to increase the rates of post-matric scholarships by Rs. 50/- at a flat rate per month.

Hence in the best interest of the students of the Scheduled Caste and Scheduled Tribe of the State, I urge upon the Minister of Home Affairs through you, Sir, to accept the proposals of the State Government at the earliest.

(iv) RELIEF MEASURES FOR FLOOD-AFFECTED PEOPLE OF RAJASTHAN

**श्री अशोक गहलोत** (जोधपुर) : राजस्थान के लोगों ने पिछले दिनों भीषण अकाल का सामना जिस धैर्य एवं हिम्मत के साथ किया था इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है । परन्तु यहां गत माह 17 से 20 जुलाई के मध्य हुई भारी वर्षा के कारण आई बाढ़ के कारण राजस्थान के लगभग 1,114 गांव के 67,275 परिवार प्रभावित हुए तथा अतिवृष्टि के कारण 122 लोगों तथा 22,362 पशुओं की मृत्यु एवं 231 व्यक्तियों के लापता होने का भी अनुमान है । कुल मिलाकर लगभग 52,850 घर या तो आंशिक तौर पर अथवा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं । साथ ही यहां पर 15,570 कुंए क्षतिग्रस्त हुए और 300 बिजली तथा डीजल के इंजन पम्प बेकार हुए एवं 41 हजार हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि बेकार हो गई और 2,77,800 हेक्टेयर भूमि में खड़ी फसलें नष्ट होने का भी अनुमान लगाया गया है ।

राजस्थान सरकार ने भीषण अकाल का सामना करने के लिए जो काम किया था उसकी प्रगति गत माह आई बाढ़ एवं अतिवृष्टि के कारण चौपट हो गई है । राजस्थान सरकार की अर्थव्यवस्था भी अकाल से निपटने के लिये किये गये व्यय के कारण अस्त व्यस्त हो गई है ।

सर्वप्रथम राजस्थान की जनता की आर्थिक हालत अकाल के कारण अच्छी नहीं थी दूसरे प्रकृति की इस मार ने तो यहां की प्रभावित जनता का मनोबल ही मरोड़ कर रख दिया है । इस समय बाढ़ पीड़ितों को तत्काल सीमेंट, लोहा इस्पात की चादरें आदि की जरूरत है साथ ही किसानों एवं विस्थापित लोगों को आर्थिक सहायता एवं आवश्यक वस्तुओं के आवंटन की आवश्यकता है । अगर समय रहते यहां की स्थानीय जनता को उक्त सहायता नहीं पहुंचायी गई तो ये लोग पूर्णतः तबाह हो जायेंगे ।

मैं कृषि मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे बाढ़ग्रस्त इलाकों में बसे लोगों को वहां के निचले हिस्से में न बसा कर ऊंचाई वाले हिस्सों में बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास की व्यवस्था करावें, ताकि भविष्य में इस प्रकार के खतरों से बचने में सहायता मिल सकें । साथ ही राजस्थान सरकार को इस विपदा से निपटने के लिए मांगी गई धनराशि को अनुदान के रूप में देने की भी व्यवस्था करावे ताकि यहां के पीड़ित परिवारों को पुनः बसाने में समुचित सहायता प्रदान करायी जा सके ।